



Neutral Citation No. - 2026:AHC:8982

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 770 वर्ष 2026

राजा सिंह @ जय वीर सिंहआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : आकांक्षा वर्मा, दीपक कुमार वर्मा

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : शा.अधि.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. श्री दीपक कुमार वर्मा, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री विजय सिंह सचान, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री सुनील कुमार, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 64 वर्ष 2025, धारा 103(1) बी.एन.एस. के अंतर्गत, थाना - मुसानगर, जिला - कानपुर देहात में, विचारण के लंबित रहने की अवधि में जमानत चाहता है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में असत्य रूप से फँसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई संबंध नहीं है। आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है और उसका नाम अन्वेषण अधिकारी को एक मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर सामने आया। तत्पश्चात आवेदक का इकबालिया बयान प्राप्त किया गया, जिसका विधि की दृष्टि में कोई साक्ष्यिक मूल्य नहीं है।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि आवेदक के इशारे पर मृतक व्यक्ति की पैंट की मिथ्या बरामदगी दिखाई गई जो खून से सनी पाई गई। अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाए कि उक्त खून के धब्बे मृतक व्यक्ति के थे। आवेदक पर 23,000 रुपये की मिथ्या बरामदगी भी थोपी गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि दो साक्षियों से परीक्षण किया गया है और उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात का खंडन किया है कि आवेदक का मृतक व्यक्ति की पत्नी, जो उसकी भाभी है, के साथ कोई अवैध संबंध था। आवेदक को सौंपे गए तीन मामलों के आपराधिक इतिहास की व्याख्या की गई है। आवेदक दिनांक 11.9.2025 से जेल में बंद है और वह विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
7. इसके विपरीत, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस आधार पर जमानत आवेदन का दृढ़तापूर्वक विरोध किया है कि एफ.एस.एल. रिपोर्ट यह इंगित करती है कि आवेदक के इशारे पर बरामद उक्त पैट खून से सनी थी।
8. उच्चतम न्यायालय ने **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2020 (11) एससीसी 648** में यह अभिमत व्यक्त किया है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध अनेक आपराधिक मामलों का लंबित रहना स्वयं में जमानत देने से इनकार का आधार नहीं हो सकता, यदि अन्यथा उसका जमानत का मामला बनता हो।
9. "दोष सिद्ध होने तक निर्दोषिता की धारणा" का सुविदित सिद्धांत जमानत को नियम के रूप में और कारावास को अपवाद के रूप में स्थापित करता है।
10. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रत्याभूत किसी व्यक्ति के जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार को केवल इसलिए नहीं छीना जा सकता क्योंकि उस पर किसी अपराध को कारित करने का आरोप है, जब तक कि उचित संदेह से परे अपराध स्थापित न हो जाए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 यह कहता है कि किसी के भी जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को तब तक नहीं छीना जा सकता जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन न किया जाए, और वह प्रक्रिया न्यायसंगत एवं युक्तियुक्त होनी चाहिए। उक्त सिद्धांत को उच्चतम न्यायालय द्वारा **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य, (2022) 10 एससीसी 51** में पुनः प्रतिपादित किया गया है।
11. उपर्युक्त मत को दोहराते हुए, उच्चतम न्यायालय ने **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 INSC 595** के मामले में पुनः इस बात पर बल दिया है कि यह सुस्थापित विधि का सिद्धांत कि जमानत को दंड के रूप में रोका नहीं जाना चाहिए, को



नहीं भुलाया जाना चाहिए। यह उचित समय है कि न्यायालय इस सिद्धांत को मान्यता दें कि "जमानत नियम है और जेल अपवाद है"।

12. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता/राज्य विधि अधिकारी ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति प्रस्तुत नहीं कर सके जो आवेदक को जमानत देने से इनकार करने को उचित ठहराती हो।

13. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए कथनों, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है तथा दो साक्षियों ने स्पष्ट रूप से इस बात का खंडन किया है कि आवेदक का मृतक व्यक्ति की पत्नी के साथ अवैध संबंध था, और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया न्यायालय की यह राय है कि आवेदक ने जमानत का मामला बनाया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

14. उक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक - राजा सिंह @ जय वीर सिंह को व्यक्तिगत बंधपत्र तथा प्रत्येक उतनी ही राशि की दो जमानतें संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

- (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

15. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

16. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में किए गए अवलोकन किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर स्वतंत्र मत बनाने से प्रभावित नहीं करेंगे।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

14 जनवरी, 2026

विकास वर्मा